प्रतिवादीगण——

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांकः— 12.7.21

वादीगण की ओर से श्री खुशप्रीत सिहं अधिवक्ता व श्री गुलाब सिंहं अधिवक्ता प्रतिवादीगण वाद में आज दिनांक 12.7.21 को कपिल यादव, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री जारी की जाती है वादी व प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वादपत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर सिहं के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 32 एम.एम.के. के खाता संख्या 80/72 की 1.075 हैक्टेयर व चक 33 एम. एम.के. के खाता संख्या 44/42 की 1.571 हैक्टेयर कुल तादादी 2.646 हैक्टेयर के वादीगण हरदीप सिहं—बलकरण सिहं पि. बलवीर सिहं ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त चक 32 एम.एम.के. के खाता संख्या 80/72 व चक 33 एम.एम.के. के खाता संख्या 44/42 से प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर सिहं पुत्र अंग्रेज सिहं का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 12.7.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मोहर

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

Scanned with CamScanner